

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग ।

सेवा में

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकूला ।

यादी क्रमांक 821-व-5-2015/ 20029
घण्टीगढ़, दिनांक 8/12/2015

विषय:


Diversion of 3.24 ha. of forest land for laying of OFC along Sirsa to Keharwala via Bhamboor-Madhosinghana-Ellenabad-Jiwanagar-Sedewala-Keharwala road (Total route length 72 km) under forest division and District Sirsa, Haryana,(D-III-6462).

संदर्भ:

आपका पत्र क्रमांक प्रशा: डी.III-6462/5013 दिनांक 23.11.2015

उपर्युक्त विषय पर आपके प्रस्तावानुसार M/s Reliance Jio Infocomm Ltd. C-135, Phase-VIII, Industrial Area, Mohali, (Punjab) के अनुरोध पर हरियाणा में laying of OFC along Sirsa to Keharwala via Bhamboor-Madhosinghana-Ellenabad-Jiwanagar-Sedewala-Keharwala road (Total route length 72 km), under forest division and District Sirsa, Haryana हेतु वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत उपयोग की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2. कोई वृक्ष इस क्षेत्र में नहीं काटा जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेंन्सी स्थानीय अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के वन विभाग से वन संरक्षण तथा पौधारोपण के हित में राज्य वन विभाग की किसी भी शर्त की पालना करेगी।
4. उपरोक्त गैर वानिकी कार्य के लिए वन भूमि के सबसे बाहरी किनारे के साथ बिछाई जायेगी और खोदी गई जमीन प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा पुनः स्थापित की जायेगी।
5. प्रयोक्ता एजेंन्सी किसी भी प्रकार की वन सम्पदा/पर्यावरण को होने वाली हानि की भरपाई करेगी।
6. प्रयोक्ता एजेंन्सी किसी भी प्रकार के रख-रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगी।
7. वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
8. यह स्वीकृति अन्य सम्बन्धित अनुच्छेदों/नियमों/न्यायालय आदेशों/अनुदेशों आदि के अधीन प्रस्ताव की अनुमति पर निर्भर करती है जैसाकि इस प्रस्ताव पर लागू है।
9. खाई (trench) की चौड़ाई एक मीटर से अधिक व गहराई दो मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये।
10. यह स्वीकृति राष्ट्रीय उद्यान व वन्य प्राणी विहार क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।
11. राज्य सरकार इस स्वीकृति को किसी भी समय स्थगित/रद्द कर सकती है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यन्वित सन्तोषप्रद नहीं है।


31/12/15

विशेष सचिव,

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
वन विभाग ।

प्रतिलिपि:-

1. वन मण्डल अधिकारी, गुडगांव तथा रिवाडी।
2. M/s Reliance Jio Infocomm Ltd. C-135, Phase-VIII, Industrial Area, Mohali, (Punjab)